महत्वपूर्ण एवं खास

संभागायुक्त महावर ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। संभागायुक्त टी.सी.महावर ने आज स्व.लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय महाविद्यालय रायगढ़ (मेडिकल कालेज)संबद्ध जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कलेक्टर यशवंत कुमार, अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार, संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक के.एन.चौधरी, सहायक अस्पताल अधीक्षक डॉ.एच.एस.उरांव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त श्री महावर ने ओपीडी पंजीयन का निरीक्षण किया एवं ऑनलाईन पंजीयन देखकर प्रसन्नता जाहिर की। वे मरीजों से रूबरू हुए और उनसे बातचीत कर दवाई एवं अन्य व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सर्जिकल आईसीयू, मेडिकल आईसीयू, गायनिक विभाग, डायलिसिस वार्ड, फिमेल मेडिकल वार्ड का निरीक्षण किया। पोषण पुर्नवास केन्द्र में उन्होनें कुपोषित बच्चों के संबंध में जानकारी ली एवं संधारित रजिस्टर का अवलोकन किया। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए आप्टेमाइजर मशीन का निरीक्षण किया। उन्होंने किचन तथा पूर्णरूप से मैकेनाइज्ड लान्ड्री सिस्टम का भी निरीक्षण किया।

खाना बनाते समय झुलसी महिला

न्याय साक्षी/रायगढ़। खाना बनाते समय मिट्टी तेल गिरने से महिला आग की चपेट में आ गई, झुलसी हुई महिला को ग्रामीणों ने 112 की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह प्रातः 10 बजे थाना सारंगढ़ अन्तर्गत दुर्गापाली गुढ़ियारी निवासी उर्मिला तेंदुलकर पति दिलेश्वर उम्र 21 वर्ष खाना बनाते समय मिट्टी तेल कपडों पर गिरने से उसके कपड़े, हाथ पैर जल गए । स्थानीय लोगों ने डायल 112 को कॉल कर मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट दिया । इवेंट पर सारंगढ़ राइनो आरक्षक घनश्याम बरेठ ग्राम दुर्गापाली गुढ़ियारी आहिता के घर पहुंचा और आहि को ईआरव्ही वाहन में बिठाकर ईलाज के लिए सारंगढ़ अस्पताल लाकर भर्ती कराया ।

पत्नी हंता को आजीवन कारावास का दंड

न्याय साक्षी/रायगढ़। चरित्र शंका पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पंचम अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आज पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में हत्या के आरोपी नरेश कुमार खूंटे पिता छेडूराम खूंटे उम्र 25 वर्ष निवासी औरदा थाना खरसिया को उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने एवं हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के आरोप में थाना खरसिया के धारा 302, 201 भादंवि के मामले में आरोपित आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302 ताहि में आजीवन कारावास व 1000 का अर्थदंड तथा धारा 201 भादंवि में 7 वर्ष की सश्रम कारावास व 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है । जानकारी के अनुसार आरोपी नरेश खूंटे घटना के 2 माह पूर्व ही मृतिका तीजमति बाई को सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार चूड़ी पहना कर पत्नी के रूप में रखा था । दोनों साथ में ईट बनाने का काम करते थे । आरोपी नरेश कुमार मृतिका के चरित्र पर शंका करता था, इसी बात को लेकर इन के मध्य विवाद होता था । घटना 28 मार्च 2018 के शाम करीब 5 बजे आरोपी नरेश खूंटे अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दिया और उसकी मृत्यु पश्चात अपराध को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके गले में साड़ी बांधकर पटाव के म्यार से लटका दिया था । उपरोक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालिक थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक धर्मान्द शुक्ल द्वारा की गई है ।

तीन चोरों से 02 समर्सिबल पंप, केबल वायर व चोरी में प्रयुक्त स्कूटी जप्त

भूपदेवपुर पुलिस की कार्यवाही, आरोपियों से 63,000 रूपये की मशरूका बरामद

न्याय साक्षी/रायगढ़। भूपदेवपुर थाना प्रभारी निरीक्षक चमन सिन्हा के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक चंदन नेताम व स्टाफ द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरीपाली से चोरी हुये 02 समर्सिबल पंप, केबल वायर को आज तीन आरोपियों चोरों से बरामद किया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी की भी जब्ती की गई है ।

जानकारी के अनुसार थाना भूपदेवपुर मे 22 मई को पूर्व माध्यमिक शाला पंडरीपानी के प्राचार्य द्वारा 17 मई को विद्यालय परिसर में लगे सबमर्सिबल पंप एवं केबल वायर को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया था । ग्राम पंचायत पंडरीपानी के सरपंच ने भी 22 मई को ग्राम पंचायत पंडरीपानी आश्रित मोहल्ला बजरंग डीपा एवं अमली डीपा के बीच नल जल योजनांतर्गत लगाये गये बोर का मोटर पंप एवं केबल वायर को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया । दोनों रिपोर्ट पर क्रमशः धारा 379 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

अपराध पंजीबद्ध के बाद से भूपदेवपुर पुलिस लगातार थानाक्षेत्र के संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही थी कि ग्राम पंडरीपानी के ग्रामीणों ने 17 मई के रात्रि तीन संदिग्ध लड़कों को स्कूल परिसर के पास घूमते हुए देखने की जानकारी दिये । सउनि चंदन नेताम द्वारा ग्रामीणों से संदिग्धों के उम्र व हुलिया की जानकारी लेकर उनका पतासाजी किया गया और ग्राम डोंगाठकेल के नंद कुमार राठिया तथा ग्राम झींटीपाली के खुलेश्वर राठिया को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया,

जिन्होने अपने साथी अजय चौहान के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना बताये । आरोपी नंद कुमार राठिया और खुलेश्वर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था जबकि गिरफ्तारी से भय से फरार आरोपी अजय चौहान को आज गिरफ्तार किया गया है ।

आरोपियों के निशादेही पर चोरी की 01 सबमर्सिबल पंप JAIVEE कंपनी का एवं केबल वायर करीब 200 फीट कीमती 35,000 रूपये नल जल योजनांतर्गत लगाया गया मोटर पंप एवं केबल वायर कीमती 28,000 रूपये ,आरी पत्ती ,घटना में प्रयुक्त स्कूटी CG 13 W-0478 को बरामद किया गया है । आरोपियों से कुल 63,000 रूपये की मशरूका व स्कुटी की भी जप्ती की गई है । घटना के आरोपी अजय चौहान पिता गणेश चौहान उम्र 28 वर्ष ,नंद कुमार राठिया पिता दानी राम राठिया उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी डोंगाठकेल थाना भूपदेवपुर, खुलेश्वर राठिया पिता ब्राम्हण साठिया उम्र 19 वर्ष निवासी झींटीपाली थाना भूपदेवपुर उपरोक्त प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया हैं । प्रकरणों में धारा 34 भादवि जोड़ी गई है आरोपी अजय चौहान को शीघ्र न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा ।

तेज अंधड़ से पूर्वांचल में कई मकान टूटे, पेड़ गिरने से ग्रामीण घायल

न्याय साक्षी/रायगढ़। बुधवार की देर शाम आई आंधी तूफान व बारिश के कारण रायगढ़ पूर्वांचल के महापल्ली व साल्हेओना में जमकर तबाही मचाई है । साल्हेओना गांव के ग्रामीणों ने बताया कि तेज अंधड़ के कारण उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं ,एस्बेस्टस टूट कर दूर फेका गए हैं छज्जे भी गिर गए हैं जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है ,प्रशासन ध्यान नही दे रहा है ।पटवारी को सूचना दे दी गई है अभी तक किसी तरह की प्रशासनिक अधिकारी जांच करने तक नही पहुंचे हैं । जयराम दीवान वल्द गणेश दीवान ,सुरेश सा वल्द लाल सा, अरुण सा वल्द डमरू सा ,लक्ष्मी पटेल वल्द परखीत पटेल ,धनसिंह सिदार वल्द हरि सिदार ,देवेंद्र सिदार वल्द पलाउ सिदार के मकान के छज्जे टूट गये ,एस्बेस्टस फट गए है वही तेज रफ्तार से चली आंधी तूफान के कारण पेड़ भी धरासाई हो गए हैं जिसके चपेट में आने से सुरेन्द्र सिदार

बालाराम साहू तथा पुर्नवासी प्रधान घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है । ग्राम महापल्ली में भी तेज अंधड़ के कारण मकानों के छज्जे व एस्बेस्टस टूट कर बिखरने की जानकारी मिली है ।पेड़ गिरने के कारण भी नुकसान हुआ है ,बिजली के तार टूटने के अलावा बिजली खम्बे टूट जाने से भी विद्युत वितरण ठप्प हो गया था जिसके कारण लोग गर्मी व उमस से परेशान हैं ।

स्विफ्ट कार खेत में पलटी, दुर्घटना में चालक बेहोश

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुसौर ओडेकेरा मार्ग पर आज शाम स्विफ्ट कार का चालक भोला ठाकुर तेज और लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए कार को सड़क किनारे खेत में उल्टी कर दिया जिससे चालक भोला को चोटे आई और वह वहीं बेहोश हो गया तथा कार पर सवार सागर पांडे पिता उमेश पांडे 25 साल निवासी रायगढ़ धीरज साहू उम्र 26 वर्ष को भी चोटें आयी थी । तीनों घायलों को डायल 112 स्टॉफ ठंडा राम और नरोत्तम यादव द्वारा सीएचसी पुसौर में भर्ती कराया गया । आहत भोला ठाकुर को रायगढ़ बेहतर इलाज के लिए रिफर किया गया है ।

बिजली बिल के नाम पर ग्रामीणों को धमकाया, पहुंचे जेल

न्याय साक्षी/रायगढ़। फर्जी बिजली बिल कर्मचारी बनकर बिल वसूली करने वाले तीन युवकों को चक्रधर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार थाना चक्रधरनगर अन्तर्गत ग्राम टारपाली में कल शाम करीब 04 बजे तीन व्यक्ति रामलाल अजगल्हे के घर लगे बिजली के मीटर एवं बिजली बील चेक करने आए और रामलाल अजगले से बोले कि हम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं । तुम्हारे घर में लगे मीटर को चेक किये, मीटर में फाल्ट है । तुम जेल चले जाओगे 50 - 60 हजार का जुर्माना लग जायेगा, केस नहीं बनाने के नाम पर 2000 /- रूपये की मांगे , जिनसे डरकर रामलाल अजगले उन्हें 500 /- रूपये दिया । वे लोग रामलाल अजगले को बाकी पैसा बाद में देना बोलकर गांव के जय प्रकाश अजगल्हे, भतिजिया पाड़े के घर भी मीटर चेक करने के नाम पर पांच - पांच सौ रूपये लिए । उन लोगों पर गांववालों को शंका होने पर बिजली विभाग को फोन किये । तब बिजली विभाग के अधिकारी आर.के. अरिल्हे एवं एल.के. पटेल गांव आये जो उन तीनों को देखकर बिजली विभाग की कर्मचारी नहीं होना बताये, फिर गांववालों ने उनका नाम पूछा तो वे अपना नाम - तारक पटेल पिता भुवन पटेल उम्र 41 वर्ष ग्राम अमलीभवना चौकी जूटमिल आशीष बाला पिता नितई बाला उम्र 28 साल ग्राम पंजरीप्लांट थाना चक्रधरनगर ,योगेश यादव पिता भरत लाल यादव उम्र 25 साल ग्राम गोरखा थाना कोतरारोड़ बताये । रामलाल अजगले द्वारा 23 मई को आरोपीगण द्वारा धोखाधड़ी और डराधमकाकर रूपयों की वसूली करने के संबंध में प्रार्थी थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 170, 384, 420,34 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी लकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथ्य में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480